उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास विभाग
संख्याः 4836 /XI/13/53(45)13
देहरादूनः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

ग्राम्य विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–3610/XI/13 /53(08)11 दिनांक–03 सितम्बर, 2013 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय 10 पद एवं विकास खण्ड स्तरीय 30 पद अर्थात कुल 40 पद सृजित करते हुए उनको भरे जाने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। राज्य स्तरीय 10 पदों में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के 01 पद पर तैनाती की जा चुकी है। राज्य स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निम्नानुसार प्राविधान किये जा रहे हैं:–

(क) राज्य स्तरीय रिक्त कुल 09 पदों के लिए शासन स्तर पर निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है:–

श्री नौटियाल जी

30/12/13

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

1.	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, ग्राम्य विकास (श्री सेमवाल) उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तराखण्ड	सदस्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,एस0आर0एल0एम0 द्वारा उक्त पदों को भरे जाने हेतु नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा तथा इस सन्दर्भ में जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनको चयन समिति के समक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष प्राप्त समस्त आवेदनों की नियमानुसार स्कुटनी आदि करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को चयन हेतु संस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा किये गये संस्तुति के आधार शासन स्तर से सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये जायेंगे।

(ख) विकास खण्ड स्तरीय रिक्त कुल 30 पदों के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है:–

1.	सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित जनपद के परियोजना निदेशक	सदस्य
3.	सम्बन्धित जनपद के जिला विकास अधिकारी	सदस्य

सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने–अपने जनपद के विकास खण्डों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा तथा इस सन्दर्भ में जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनको चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष प्राप्त समस्त आवेदनों की नियमानुसार स्कुटनी आदि करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को चयन हेतु संस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा किये गये संस्तुति को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकरी, एस0आर0एल0एम0 सचिवालय परिसर, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव निदेशक, एस0आर0एल0एम0 को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक, एस0आर0एल0एम0 द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये जायेंगे। समस्त रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही अधिकतम एक माह में कर ली जायेगी।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 4836 /XI/13/53 (45)13 तददिनांक्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के सज्ञानार्थ।
2. अपर सचिव, ग्राम्य विकास (श्री सेमवाल जी) उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0आर0एल0एम0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी।
5. सम्बन्धित जनपद (देहरादून, चमोली, पौड़ी, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर) के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)

अनु सचिव।